



LGBTQIA हेतु 'कन्वर्जन थेरेपी' पर प्रतर्बिंध

प्रलिस के लयि:

ट्रांसजेंडर, NMC, LGBTQIA+, ट्रांसजेंडर वयक्तयिं (अधकारिं का संरक्षण) नयिड, 2020 और ट्रांसजेंडर वयक्तयिं (अधकारिं का संरक्षण) अधनियिड, 2019 से संबंघति मुददे ।

डेन्स के लयि:

LGBTQIA और संबंघ जोखमिं के लयि कन्वर्जन थेरेपी ।

चर्चा में कयों?

[राषटरीय चकितिसा आयोग \(NMC\)](#) ने सभी राज्य चकितिसा परषिदों को LGBTQIA+ समुदाय की रूपांतरण चकितिसा या 'कन्वर्जन थेरेपी' पर प्रतर्बिंध लगा दयिा है और इसे "व्यावसायिक कदाचार (Professional Misconduct)" कहा है ।

- NMC ने मद्रास उच्च न्यायालय के नरिदेश का पालन करते हुए कहा कभारतीय चकितिसा परषिद (व्यावसायिक आचरण, शषिटाचार और नैतिकता) वनियिड, 2002 के तहत 'कन्वर्जन थेरेपी' अवैध है ।

LGBTQIA+:

- LGBTQIA+ लेसबयिन, गे, बाइसेकुशुअल, ट्रांसजेंडर, कवीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य लोगों को संबंघति करता है । ये ऐसे लोग होते हैं जनिमें सीसजेंडर वषिमलैंगिक "आदर्शों" की अनुपस्थति होती है ।
 - '+' का उपयोग उन सभी लैंगिक पहचानों और यौन अभविन्यासों को दर्शाने के लयि कयिा जाता है जनिका अक्षर और शब्द अभी तक पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं ।
- भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक वशिषिट सामाजिक समूह, एक वशिषिट समुदाय थर्ड जेंडर भी शामिल है ।
- उन्हें सांस्कृतिक रूप से या तो "न पुरुष, न ही महिला" या एक महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परभाषति कयिा जाता है ।
- वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सतिंबर, 2018 को धारा 377[1] को गैर-आपराधिक घोषति कर दयिा, जसिमें समलैंगिक संबंधों को "अप्राकृतिक अपराध" कहा गया था ।

'कन्वर्जन थेरेप चकितिसा और संबंघ जोखमि:

- कन्वर्जन थेरेपी एक हस्तक्षेप है जसिका उद्देश्य कसिी वयक्त की यौन अभविन्यास या लयि पहचान को बदलना है जसिके लयि मनोवैज्ञानिक उपचार, ड्रग्स, ईवलि सेरेमोनयिल प्रैक्टिस और यहाँ तक क हिंसा का भी उपयोग कयिा जाता है ।
- इसमें उन युवाओं की मूल पहचान को बदलने के प्रयास शामिल हैं जनिकी लयि पहचान उनके लयि शरीर रचना के साथ असंगत है ।
- अक्सर, इस मुददे से नपिटने में बहुत कम वशिषज्जता वाले नीड हकीमों द्वारा चकितिसा की जाती है ।
- अडेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाटरी (AACAP) के अनुसार कन्वर्जन थेरेपी के तहत हस्तक्षेप झूठे आधार पर प्रदान कयिा जाता है क सडलैंगिकता और वविधि लयि पहचान रोगात्मक हैं ।
- कन्वर्जन थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य स्थतियिं को पैदा करती है, जैसे चतिा, तनाव और नशीली दवाओं का उपयोग जो कभी-कभी आत्महत्या का कारण भी बनता है ।

मद्रास उच्च न्यायालय के नरिदेश:

- मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने LGBTQIA+ (लेसबयिन, गे, उडयलगीं, ट्रांसजेंडर, कवीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक या कसिी अन्य अभविन्यास के) लोगों के यौन अभविन्यास को चकितिसकीय रूप से "ठीक करने" या जबरन बदलने के कसिी भी प्रयास को प्रतर्बिंधति कर दयिा है ।

- इसने अधिकारियों से किसी भी रूप या कन्वर्ज़न थेरेपी के तरीके में खुद को शामिल करने वाले पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
- न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक आदेश दिया कि वह "एक पेशेवर कदाचार के रूप में 'कन्वर्ज़न थेरेपी' को सूचीबद्ध करके आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जारी करे।
- न्यायालय ने कहा कि समुदाय को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से ज़िला वधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- एजेंसियों को [ट्रांसजेंडर व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) नियम, 2020](#) और [ट्रांसजेंडर व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) अधिनियम, 2019](#) का अक्षरशः पालन करने के लिये कहते हुए न्यायालय ने कहा कि समुदाय एवं उसकी ज़रूरतों को समझने के लिये हर संभव प्रयास हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।

LGBTQIA+ की सुरक्षा हेतु नरिणयः

- **नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली सरकार (2009):**
 - दलिली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक गतिविधियों को वैध बनाने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया।
- **सुरेश कुमार कौशल केस (2013):**
 - उच्च न्यायालय (2009) के पछिले फैसले को यह तर्क देते हुए पलट दिया कि "यौन अल्पसंख्यकों की दुरदशा" को कानून की संवैधानिकता तय करने के लिये तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- **न्यायमूर्ति केएस पुट्टासवामी बनाम भारत संघ (2017):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजिता का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिये अंतर्निहित है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह माना गया कि "यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है"।
- **नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018):**
 - सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नरिणय को खारजि कर, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया।
- **शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (वर्ष 2018):**
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साथी या पार्टनर का चयन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह साथी किसी भी जेंडर से संबंधित हो सकता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:**
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिये और उससे जुड़े एवं उसके आनुषंगिक मामलों के लिये यह अधिनियम लाया गया।
- **समलैंगिक विवाह:**
 - फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दलिली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का वरिध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम "जैविक पुरुष" और "जैविक महिला" के बीच विवाह हुआ हो।

आगे की राहः

- समुदाय की बेहतर समझ के लिये **स्कूलों और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में बदलाव** करना चाहिये।
 - वर्ष 2018 के अंत तक चिकित्सा पुस्तकों ने **समलैंगिकता को "विकृति" के रूप में रेखांकित** किया है। एक अलग यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के लोग प्रायः **भेदभाव, सामाजिक कलंक और बहिष्कार** का सामना करते रहे हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर **जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट अनिवार्य व्यवस्था** होनी चाहिये।
- इस विषय पर माता-पिता को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ **दुरव्यवहार की शुरुआत सबसे पहले घर** से ही होती है, जसमें कशिशों को "कन्वर्ज़न थेरेपी" को चुनने के लिये बाध्य किया जाता है।
- **सेक्स रजिस्ट्रारि में सर्जरी** का विकल्प चुनने वाले वयस्कों को **ऑपरेशन से पहले और बाद में थेरेपी जैसे उचित मार्गदर्शन** की आवश्यकता होती है; जो की एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिये अवहनीय भी हो सकती है।

स्रोतः द हट्टि